सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 961 राँची, सोमवार, 20 अग्रहायण, 1939 (श०)

11 दिसम्बर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

11 अक्टूबर, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक-1790/गो०, दिनांक 16 जुलाई, 2011
2. प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर का पत्रांक-1230, दिनांक 11 सितम्बर, 2012
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का विभागीय पत्रांक-11171, दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 विभागीय पत्रांक-993, दिनांक 1 फरवरी, 2013 विभागीय संकल्प सं०-4943, दिनांक 8 मई, 2013 विभागीय पत्रांक-6316, दिनांक 18 मई, 2017 एवं पत्रांक-7649, दिनांक 29 जून, 2017
4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-486, दिनांक 22 सितम्बर, 2015
5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2095, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

संख्या- 5/आरोप-1-18/2014 का.-10530 – डॉ० अनवर हुसैन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-667/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी के विरूद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-1790/गो०, दिनांक 16 जुलाई, 2011, जो प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-1230, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 के माध्यम से प्राप्त है, के द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें विभागीय वाहन का दुरूपयोग, मुख्यालय में नहीं रहने एवं सरकारी योजनाओं में गंभीर अनियमितता बरतने संबंधी कुल-20 आरोप प्रतिवेदित किये गये ।

2. उक्त आरोप प्रपत्र- 'क' सभी साक्ष्यों के साथ संलग्न कर विभागीय पत्रांक-11171, दिनांक 1 अक्टूबर, 2012 के द्वारा डॉ० हुसैन, झा०प्र०से० से एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण की माँग की गई । स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर पुनः विभागीय पत्रांक-993, दिनांक 1 फरवरी, 2013 द्वारा स्मारित करते हुए एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया फिर भी उनका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ ।

3. डॉ० हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए विभागीय संकल्प सं०-4943, दिनांक 8 मई, 2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तदेन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-486, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित 20 (बीस) आरोपों में से 18 (अठारह) आरोप प्रमाणित पाये गये ।

5. डॉ० हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत हुआ जा सकता है । डॉ० हुसैन के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा सरकारी कार्य एवं कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता को प्रमाणित करता है । साथ ही, यह भी संज्ञान में आया कि सेवाकाल के दौरान विभिन्न पदस्थापन अवधि में इनके विरूद्ध कई आरोप प्रतिवेदित किये गये, जिससे स्पष्ट है कि ये Habitual offender हैं और इसी कारण इनकी सेवा अब तक संपुष्ट नहीं है ।

6. अतः समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-6316, दिनांक 18 मई, 2017 एवं पत्रांक-7649, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में डॉ० हुसैन के पत्रांक-107, दिनांक 13 जून, 2017 एवं 123/नजा०, दिनांक 7 जुलाई, 2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

7. डॉ० हुसैन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं दिया गया है, जो इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों को खंडित करता है । अतएव डॉ० हुसैन के द्वारा दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीरकण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया ।

8. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2095, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा डॉ० हुसैन को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है ।

9. तत्पश्चात् दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में डॉ० अनवर हुसैन को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

अतः डॉ० अनवर हुसैन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-667/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी, संप्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(xi) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 961--50